

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

-पौरा.कं.नं.5- 215938 हे

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (✓/X)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन करते समय यह सुनिश्चित करे कि चयनित स्थल किसी अन्य प्रस्ताव में वृक्षारोपण हेतु आंशिक अथवा पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है।	✓
10	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है, संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	X
11	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्डाना की झाड़ियाँ अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	✓
12	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाये।	✓

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पटना रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी चुक
सोनभद्र वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
निदेशक,
वन प्रभाग
सोनभद्र